भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

16

आर0 ई0 आर0 वाद संख्या–66 / 2015–16

रामेश्वर साह,

बनाम्

पाण्डू साह

05.11.2022

आदेश

अभिलेख उपस्थापित।

दोनो पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। यह वाद रामेश्वर साह पिता स्व0–सोकली साह के द्वारा विपक्षी गण के विरूद्ध दाग नं0–772 जमाबंदी नं0–64 मौजा–चिलौना रंगमटिया नं0–381 रकवा–00–10–10 धूर से विपक्षी गण को उच्छेद करने का आवेदन दाखिल किया गया है प्रस्तुत वाद में आवेदक का कथन है कि उपरोक्त जमाबंदी नं0–64 की जमीन जमाबंदी रैयत गुलाबी साह बैधी साह वो शकुली साह वो गोकुली साह पे0– कपूरी साह वो भुखन वो भुवन साह पेसरान चन्दू साह वो जदु साह वो संतोखी साह पेसरान वंशी साह के नाम से खतियान में दर्ज है। विपक्षी गण अवैध रूप से दखलकार है उन्हे उच्छेद किया जाय विपक्षी गण नोटिश पर उपस्थित होकर अपने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखा गया । जिसमें उसका कहना है कि संबंधित जमाबंदी नं0–64 के जमाबंदी रैयत गुलाबी साह के वंशज है। प्रश्नगत जमीन पर हिस्से दार के रूप में दखलकार है। आवेदक द्वारा तथ्य के भूल के कारण यह वाद लाया गया है। इस में आवेदक रामेश्वर साह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अशोक साह के द्वारा उन्हे अपने पिता के जगह प्रति स्थापित करने हेतु प्रार्थना किया गया है। साथ ही साथ एक समझौता आवेदन दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि विपक्षीगण भी प्रश्नगत भूमि के जमाबंदी रैयत गुलाबी साह के वंशज है और परन्तु मृत पिता के द्वारा इस वाद में तथ्य की मूल के कारण उनके विरूद्ध वाद दाखिल गया था मेरे पिता के द्वारा भी यह केश दाखिल करने के पश्चात भी इस आश्य का आवेदन दिया गया था यह वाद गलत फार्मी में दाखिल किया गया था एव केश को वापस करने का प्रार्थना किया है। आवेदक द्वारा सुलहनामा आवेदन में यह भी कहा गया है कि उभय पक्ष प्रश्नगत जमीन के जमाबंदी रैयत के वंशज है वे अपने–अपने हिस्से की जमीन पर हिस्सेदार के रूप में शांति पूर्ण दखल कार है। इस लिये वाद नहीं लड़ना चाहते है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातो एवं सुलहनामा आवेदन को अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इस वाद में उभय पक्ष प्रश्नगत जमीन के जमांबंदी रैयत के वंशज है एवं अपने–अपने हिस्से की जमीन पर बैध रूप से दखल कार है। जिस नाते प्रश्नगत वाद में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 20 एवं 42 के तहत आवेदक का आवेदन चलने योग्य नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई की समाप्त की जाती है।

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 13:38:00 +05:30
Location: 192.168.29.124

लेखापित एवं संशोधित।

05.11.22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

05.11.2

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।